



0444 002244 (14)

06-01-15

हरदुगल बडा
6.1.15

46 W Pro C

भारतीय न्यायिक प्रमाणपत्र
 23 - I A With the Permission
 by S.D.O. Simdega vide
 Case No 495 R 811/2012-13

06-1-15
 26-8-14
 order dated

लेख्यकारी:- श्री हरदुगल बडा पिता स्व० धनमसीह बडा
 जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा
 चौचोटोलो, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिक्रेता ।

प्रमथ-पत्र संख्या :- 05/2015

प. पिपडा केकेडा
 पिता स्व० विनोद केकेडा
 ग्राम-सिमडेगा/ठासनेलेकी
 थाना- सिमडेगा
 जिला- सिमडेगा
 तः 06/01/2015

558
14

03dt03-11-14/04dt03



श्री हरद्वान वाडा
रु० लनमसीह वाडा
सिमडागा सिमडागा
पोचोरोमी
केवामा
14,800=00

10,000 x 1 = 10,000
1,000 x 4 = 4,000
500 x 1 = 500
100 x 3 = 300

09/12/14

10-fal = 14,800 = 00

(-वाडा इजा (आठ सा))



06-01-15

हरद्वान वाडा
0-1-15



06-1-15 10 तो

हरद्वान वाडा
लनमसीह वाडा
सिमडागा सिमडागा
पोचोरोमी



06-1-15
06-1-15



--2--

१२१ लेख्यधारिणी:- श्रीमती सुसारा तिकों मति श्री ओर्तन तिकों
जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारा, निवास ग्राम- कोधेडेगा लुकीबहार,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

प्रमथ-पत्र संख्या:-

06/2015

१३१ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

१४१ मूल्य:- मोबलिंग तीन लाख सत्तर हजार रुपये अंके 3,70,000/-
रुपये होता है ।

१५१ सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली,
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो
जिला- सिमडेगा के खाता नं० 56 छपन छ प्लॉट नं० 4965
उनचास सौ पैसों रकबा 0.10 एकड़ दस डिसमिल शहरी
क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाला जमीन आवासीय क्षेत्र में
पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।
जिसकी चौदही:-

उत्तर:- कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा इसी प्लॉट पर,

दक्षिण:- टांड इस्तोमिहो बाड़ा.

पूरब :- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

पश्चिम:- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता ।

मालगुजारी 5 पैसा छपाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

सुसारा तिकों
6-1-15

सुसारा तिकों
पिता - सुसारा तिकों
नाम सुसारा तिकों
वपन सुसारा तिकों
जिला सिमडेगा ता 6-1-15



--3--

१।१ चूँकि मुझ लेख्यकारी को बिमारी का इलाज कराने एवं अन्य बीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमोन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमोन खरीदने को प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

१।२ इसलिये मैं अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१।३ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बेची जा रही जमोन मेरी खतियानी है । पिछले नाप में जुआस उराँव वी सुधना उराँव पेशरान सोहराई उराँव, धनमसीह उराँव वी त्योफिल उराँव पेशरान इसराईल उराँव, पौलुस उराँव वी जोहन उराँव पेशरान सुखु उराँव के नाम से नाप हुआ था । खतियानी रैयतो के बीच जमोन का बँटवारा पूर्व में हो चुका है । धनमसीह उराँव मेरे पिताजी थे, उनका मृत्यु हो चुका है, उनके पाँच पुत्र हुए । मेरे भाईयों के बीच जमीन का बँटवारा मौखिक हो चुका है । बेची जा रही जमीन मेरे हिस्से वी दखल कब्जे

रुपयों की
6.11.15



--4--

का है जिसपर मैं शांतिपूर्ण दखलकार हूँ। मालगुजारी रसीद मेरे बड़े भाई महानन्द बड़ा वगैरे के नाम संयुक्त कट रहा है जिसकी अदायगी साल-ब-साल दे रहे हैं। उक्त जमीन पर किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है।

४४ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम को धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 495 आर 811/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.8.014 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 51११ दिनांक 26.8.014 है।

४५ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

४६ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री को जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लोज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजहूआ के तहत नहीं है।

रसूलगुजारी दादा
6.1.15



--5--

मैं लेख्यकारो यह घोषणा करता हूँ कि विक्रोत जमीन वो बचत जमान सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

हरदुगन का
6.1.15



हरदुगन का
6.1.15

प्रमाणित किया जाता है कि श्री
हरदुगन का ने अपने बाँधे हाथ के पाँचों
अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया ।

Clement Turley Adv.
06.01.15

मैं लेख्यधारिणो यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगो के बाद कूल धारित जमान सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Suzari Turley
6.1.2015



प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति
सुझारी तिरु ने अपने बाँधे हाथ के
पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया ।

Clement Turley Adv.
06.01.15

06.01.15

500Rs.



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सहो/- *Chamot Pindley*
Advocate, Simdega
प्रारूपकर्ता
तारीख:- 06.01.2015

51.15
22/1/15

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 678 शब्द टंकित हैं जो छपडन रहित वो नक्सा सहित है एवं पृष्ठ संख्या 7 से 9 तक खाली है ।

टंकक
मो० मकसुद
6-1-2015
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।